अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

97. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है), धारा 2 के खंड (1ख) में, "स्वर्ण (नियंत्रण)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "सेवा-कर" शब्द रखे जाएंगे । धारा 2 का संशोधन ।

98. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 7 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा,— धारा 7, आदि का संशोधन ।

(क) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार शब्दों" के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा;

(ख) इस प्रकार सख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रखा जाएगी, अर्थात् :—

(2) "इस धारा के अधीन जारी की गई और वित्त अधिनियम, 2003 के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक अधिसूचना, ऐसे प्रारंभ पर, वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 98 द्वारा यथासंशोधित इस धारा के उपबंधों के अधीन जारी की गई समझी जाएगी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात् वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन संशोधन, विखंडन या निलंबन तक उसी तरह प्रवृत्त और प्रभावी बनी रहेगी ।"।

99. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, "जिसको माल भाण्डागार से वास्तव में हटाए जाते हैं" शब्दों के स्थान पर, "जिसको ऐसे माल के बारे में उस धारा के अधीन देशी उपभोग के लिए प्रवेश का बिल पेश किया जाता है" शब्द रखे जाएंगे । धारा 15 का संशोधन।

100. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 में,— धारा 25 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे माल पर, जिस पर शुल्क उद्ग्रहणीय है, ऐसी आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन, जिनका उल्लेख ऐसे आदेश में किया जाएगा, शुल्क के संदाय से छूट दे सकेगी ।";

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, शुल्क का संग्रहण तब नहीं किया जाएगा जब उदग्रहणीय शुल्क की रकम एक सौ रुपए के बराबर या उससे कम है ।"।

101. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के पहले परंतुक के खंड (क) में, "आयातकर्ता" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता" शब्द रखे जाएंगे । धारा 27 का संशोधन।

102. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप किया जा एगा । धारा 28 का संशोधन।

103. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ङ में,— धारा 28ङ का संशोधन।

(क) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) आवेदक से,—

(i) ऐसा अनिवासी, जो किसी अनिवासी या किसी निवासी के सहयोग से कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है; या

(ii) कोई निवासी, जो किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है; या

(iii) पूर्ण स्वामित्व वाली ऐसी समनुषंगी भारतीय कंपनी जिसकी धारक कंपनी विदेशी कंपनी है,

अभिप्रेत है, जो भारत में कारबार के क्रियाकलाप का प्रस्ताव करता है और धारा 28ज की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन करता है ;';

(ख) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

1961 का 43

'(ज) "अनिवासी", "भारतीय कंपनी" और "विदेशी कंपनी" का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (30), (26) और (23क) में क्रमशः उनका हैं ।'।

104. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 28ज का संशोधन।

1975 का 51

"(घ) इस अधिनियम, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन किन्हीं शुल्कों की बाबत राजपत्र में जारी की गई अधिसूचनाओं का लागू होना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी शुल्क का उसी रीति में प्रभार्य होना, जैसे इस अधिनियम के अधीन सीमाशुल्क उद्ग्रहणीय है ।"।

105. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 30 का संशोधन।

"(1) किसी ऐसे,—

(i) जलयान ; या

(ii) वायुयान ; या

(iii) यान,

का भारसाधक व्यक्ति, जिसमें आयातित माल या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को वहन किया जा रहा है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे, किसी जलयान या वायुयान की दशा में, सीमाशुल्क स्टेशन में, यथा स्थिति, जलयान या वायुयान के पहुंचने से पूर्व, उचित प्राधिकारी को एक आयात सूची और किसी यान की दशा में, सीमाशुल्क स्टेशन में उसके पहुंचने के पश्चात् बारह घंटे के भीतर विहित प्ररूप में, आयात रिपोर्ट देगा और यदि आयात सूची या आयात रिपोर्ट या उसका कोई भाग, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उचित अधिकारी को नहीं दिया जाता है और यदि उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब के लिए पर्याप्त कारण नहीं था तो इस उपधारा में निर्दिष्ट भारसाधक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जिसने ऐसा विलंब किया है, पचास हजार रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा ।"।

धारा 61 का संशोधन।

106. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) किसी शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम में उपयोग के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न माल की दशा में, तीन वर्ष के अवसान तक ; और";

(iii) परंतुक के खंड (i) में, " खंड (क) या खंड (ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, " खंड (क) या खंड (कक) या खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (i) में, " उपखंड (क)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, " उपखंड (क) या उपखंड (कक)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ii) में, " तीस दिन" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "नब्बे दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 68 का संशोधन।

107. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 68 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी भाण्डागारित माल का स्वामी, ऐसे माल की बाबत देशीय उपभोग के लिए माल की निकासी के संबंध में कोई आदेश किए जाने से पूर्व किसी समय, ऐसे भाटक, ब्याज, अन्य प्रभारों और शास्तियों के संदाय पर, जो माल की बाबत संदेय हों, माल पर अपने हक का त्याग कर सकेगा और ऐसे त्याग पर वह उस पर शुल्क का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा ।"।

धारा 75क का संशोधन।

108. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75क की उपधारा (1) में,—

(क) "दो मास" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "एक मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 113 का संशोधन।

109. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 113 में,—

(क) खंड (ग), (ङ), (च), (छ) और (ज) में, "शुल्क्य या प्रतिषिद्ध" शब्दों का, जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(झ) निर्यात के लिए प्रविष्ट कोई माल, जो इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि के मूल्य के बारे में या किसी तात्त्विक विशिष्टि में या यात्री सामान की दशा में धारा 77 के अधीन की गई घोषणा के समान नहीं है ।";

(ग) खंड (ट) में, "वापसी के किसी दावे के अधीन" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 114 का संशोधन।

110. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114 में,—

(क) खंड (i) में, "जो ऐसे माल के मूल्य से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो निर्यातकर्ता द्वारा घोषित किए गए माल के मूल्य के तीन गुणा से अनधिक या इस अधिनियम के अधीन यथा-अवधारित मूल्य की होगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) किसी अन्य माल की दशा में, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो निर्यातकर्ता द्वारा घोषित किए गए माल के मूल्य से अनधिक होगी या इस अधिनियम के अधीन अवधारित मूल्य की होगी, इनमें से जो भी अधिक हो ।"।

धारा 122 का संशोधन।

111. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 122 में,—

(क) खंड (ख) में, "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) में, "ढाई हजार" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 129 का संशोधन।

112. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129 में,—

(क) उपधारा (1) में, "स्वर्ण (नियंत्रण)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "सेवा-कर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "केंद्रीय विधि सेवा" शब्दों के स्थान पर, "भारतीय विधि सेवा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4क) का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपधारा (5) में, "ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, "कोई उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 130 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

113. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

उच्च न्यायालय को अपील ।

"130. (1) 1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश से (जो अन्य बातों के साथ, निर्धारण के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क की दर या माल के मूल्य से संबंध रखने वाले किसी प्रश्न के अवधारण से संबंधित आदेश नहीं है) अपील उच्च न्यायालय को होगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है ।

(2) सीमाशुल्क आयुक्त या अपील अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित अन्य पक्षकार, उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा और इस उपधारा के अधीन ऐसी अपील—

(क) उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सीमाशुल्क आयुक्त या अन्य पक्षकार को प्राप्त होता है, एक सौ अस्सी दिन के भीतर फाइल की जाएगी ;

(ख) जहां ऐसी अपील अन्य पक्षकार द्वारा फाइल की जाती है वहां उसके साथ दो सौ रुपए की फीस होगी ;

(ग) अपील के ज्ञापन के रूप में होगी जिसमें अंतर्वलित विधि के सारवान् प्रश्न का सही-सही कथन होगा ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को निश्चित करेगा ।

(4) अपील की सुनवाई केवल इस प्रकार निश्चित प्रश्न पर ही की जाएगी और प्रत्यर्थियों को अपील की सुनवाई पर यह तर्क देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है :

परंतु इस उपधारा की कोई बात न्यायालय द्वारा निश्चित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर अपील की, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, न्यायालय की सुनवाई करने की शक्ति को समाप्त या कम करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है ।

(5) उच्च न्यायालय, इस प्रकार निश्चित प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर निर्णय देगा जिसमें वे आधार होंगे, जिन पर निर्णय आधारित है और ऐसा खर्च भी दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(6) उच्च न्यायालय, ऐसे किसी भी विवाद्यक का अवधारण कर सकेगा,—

(क) जिसे अपील अधिकरण द्वारा अवधारित नहीं किया गया है ; या

(ख) जिसे विधि के ऐसे प्रश्न पर, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, किसी विनिश्चय के कारण अपील अधिकरण द्वारा गलत अवधारित किया गया है ।

(7) जब कोई अपील उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की जाती है तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की जाएगी और उसका विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों या ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत, यदि कोई हो, की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(8) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है वहां न्यायाधीश, विधि के उस प्रश्न का उल्लेख करेंगे, जिस पर उनमें मतभेद हैं और तब मामले की उस प्रश्न पर सुनवाई केवल उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी और ऐसे प्रश्न का विनिश्चय उनके सहित, जिन्होंने प्रथमतः उसकी सुनवाई की थी, उन न्यायाधीशों के, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(9) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उच्च न्यायालय को अपील से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन अपीलों की दशा में लागू होंगे ।"।

1908 का 5

114. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130क की उपधारा (1) में, "1 जुलाई, 1999 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 जुलाई, 2003 से पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे । धारा 130क का संशोधन।

115. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130घ में,— धारा 130घ का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 जुलाई, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

" (1क) जहां उच्च न्यायालय धारा 130 के अधीन, उसके समक्ष फाइल की गई किसी अपील में निर्णय देता है वहां निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर उचित अधिकारी द्वारा अपील पर पारित आदेश को प्रभावी किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (2) में, " उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को निर्देश" शब्दों के स्थान पर, " उच्च न्यायालय को निर्देश या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को अपील" शब्द रखे जाएंगे ।

116. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130ङ में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 130ङ का संशोधन।

" (क) किसी मामले में,—

(i) धारा 130 के अधीन की गई अपील में; या

(ii) 1 जुलाई, 2003 से पूर्व अपील अधिकरण द्वारा धारा 130 के अधीन किए गए निर्देश पर; या

(iii) धारा 130क के अधीन किए गए निर्देश पर,

दिए गए उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, जिसे उच्च न्यायालय, स्वप्रेरणा से या निर्णय के पारित किए जाने के ठीक पश्चात् व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी मौखिक आवेदन पर, उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए ठीक मामले के रूप में प्रमाणित करता है ; या" ।

117. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) में,— धारा 135 का संशोधन।

(क) खंड (क) में, "किसी प्रतिषेध के" शब्दों के पश्चात्, "मूल्य की गलत घोषणा या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, "धारा 111 के अधीन" शब्दों और अंकों से प्रारंभ होने वाले और "व्यवहार करेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "यथास्थिति, धारा 111 या धारा 113 के अधीन अधिहरण के दायी हैं, कब्जा प्राप्त करेगा या उनके वहन, हटाने, निक्षेप करने, संश्रय देने, रखने, छिपाने, विक्रय या क्रय करने में किसी भी प्रकार संबंध रखेगा या ऐसे माल का किसी अन्य रीति में व्यवहार करेगा, या" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) ऐसे किसी माल का निर्यात करने का प्रयास करता है जिनके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे धारा 113 के अधीन अधिहरण के लिए दायी हैं, "।

118. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 136 की उपधारा (1) में, "किसी कार्य या बात को जिसके द्वारा" शब्दों के पश्चात्, ", किसी कार्य या बात को जिसके द्वारा कोई कपटपूर्ण निर्यात किया जाता है या" शब्द रखे जाएंगे । धारा 136का संशोधन।

119. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 465 (अ) तारीख 3 मई, 1990 और सा.का.नि. 423 (अ) तारीख 20 अप्रैल, 1992, दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में उनमें से प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (4) में सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का संशोधन।

उल्लिखित तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएंगी और संशोधित हुई समझी जाएंगी तथा तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या किसी बात के बारे में सभी प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह विधिमान्य और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है या सदैव की गई थी मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में थीं ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी या होनी समझी जाएगी मानो सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर उक्त अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति थी ।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई निर्यात संवर्धन स्कीमों से संबंधित अधिसूचनाओं का संशोधन।

120. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 308(अ), तारीख 31 मार्च, 1995, सा.का.नि. 309(अ), तारीख 31 मार्च, 1995, सा.का.नि. 480(अ), तारीख 5 जून, 1995, सा.का.नि. 657(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1995, सा.का.नि. 658(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1995, सा.का.नि. 184(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1997, सा.का.नि 186(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 187(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 197(अ), तारीख 7 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 216(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 623(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 1998, सा.का.नि. 299(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1999, सा.का.नि. 366(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2000 और सा.का.नि. 367(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2000, तीसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में उनमें से प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएंगी और संशोधित की गई समझी जाएंगी और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या किसी बात के बारे में सभी प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई है मानो इस उपधारा द्वारा यथसंशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही हों ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी या होनी समझी जाएगी मानो सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर उक्त अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति थी ।

(3) ब्याज की ऐसी सभी रकमों का, जो, यथास्थिति, संदत्त कर दी गई हैं या जिनका प्रतिदाय नहीं किया गया है, किन्तु जो, यथास्थिति, इस प्रकार संदत्त नहीं की गई होती या जो प्रतिदाय नहीं की गई होती यदि इस धारा के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में नहीं होते, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर प्रतिदाय किया जाएगा और इस उपधारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 के उपबंध ऐसे प्रतिदाय के संबंध में लागू होंगे ।

अतिरिक्त सीमाशुल्क (चाय और चाय अपशिष्ट) ।

121. (1) चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो भारत में आयातित माल हैं, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर संघ के प्रयोजनों के लिए उपकर द्वारा अतिरिक्त सीमाशुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रभार्य अतिरिक्त सीमाशुल्क, सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य सीमाशुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(3) सीमाशुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत शुल्क के प्रतिदाय और उससे छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उस अधिनियम या उन नियमों और विनियमों के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 3 का संशोधन।

122. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) धारा 3 में, उपधारा (2) के खंड (ii) में, "किंतु उसके अंतर्गत उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुल्क नहीं, है" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, 1975 का 51

"किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

(क) धारा 3क में निर्दिष्ट विशेष अतिरिक्त शुल्क;

(ख) धारा 8ख और 8ग में निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क;

(ग) धारा 9 में निर्दिष्ट प्रति शुल्क ;

(घ) धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क; और

(ङ) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुल्क,"

शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और भूतलक्षी रूप से, 1 मार्च, 2002 से ही रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 3क का संशोधन।

123. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) के खंड (ii) में, "किंतु उसके अंतर्गत उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशेष अतिरिक्त शुल्क नहीं है, और" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर,

"किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(क) धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क;

(ख) धारा 9 में निर्दिष्ट प्रति शुल्क;

(ग) धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क;

(घ) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशेष अतिरिक्त शुल्क; और"

शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे और भूतलक्षी रूप से,1 मार्च, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे।"।

धारा 9क का संशोधन।

124. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) के मद (क) में "या राज्यक्षेत्र अथवा किसी समुचित तीसरे देश से" शब्दों के स्थान पर, "से किसी समुचित तीसरे देश के राज्यक्षेत्र को" शब्द रखे जाएंगे।

125. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ग में, उपधारा (1) में, "स्वर्ण (नियंत्रण)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "सेवा-कर" शब्द रखे जाएंगे । धारा 9ग का संशोधन।

2001 का 14

126. (1) तेरहवीं अनुसूची द्वारा यथा संशोधित वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो भारत में आयातित माल है, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के रूप में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता सीमाशुल्क नाम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् राष्ट्रीय आपदा सीमाशुल्क कहा गया है) सीमाशुल्क तेरहवीं अनुसूची द्वारा यथासंशोधित उक्त सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा । राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता सीमा शुल्क।

2001 का 14

(2) तेरहवीं अनुसूची द्वारा यथासंशोधित वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर प्रभार्य राष्ट्रीय आपदा सीमाशुल्क, सीमाशुल्क अधिनियम, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य सीमाशुल्क के अतिरिक्त होगा ।

2001 का 14

(3) तेरहवीं अनुसूची द्वारा यथासंशोधित वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर, इस धारा के अधीन राष्ट्रीय आपदा सीमाशुल्क के परिकलन के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसा शुल्क उसके मूल्य के किसी प्रतिशत पर उद्ग्रहणीय है, वहां ऐसे माल का मूल्य उसी रीति में परिकलित किया जाएगा जैसे अतिरिक्त शुल्क के प्रयोजनों के लिए वस्तु के मूल्य को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन परिकलित किया जाता है ।

2001 का 14

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत शुल्क के प्रतिदाय और उससे छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, तेरहवीं अनुसूची द्वारा यथासंशोधित वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत जहां तक हो सके इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उस अधिनियम या उन नियमों और विनियमों के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

2001 का 14

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 161 के निबंधनानुसार, वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में किए गए संशोधनों के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति पर, यदि ऐसा संशोधन नहीं होता तो उसी प्रकार प्रवृत्त बने रहते, मानो उक्त संशोधन नहीं किए गए हों।